फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण),

केस संख्या :– /20

सरकार बनाम रेवडमल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.09.2024	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार हाजिर। प्रार्थी ने यह वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी को विवादित भूमि आ ख नं 3305 रकबा 0.42 वाके ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा में खातेदार अधिकारी होते हुय कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर आवासीय कार्य हेतु किया लिया है। अतः विवादित भूमि को राज्य सरकार मे निहित किए जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी ने प्रतिवादी करते हुय कथन किया है कि विवादित भूमि पर कोई गैर कृषि आवासीय कार्य किया जा रहा है। उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते है कि तहसीलदार तहसील कोटखावदा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि मौके पर ग्रेवल सडक डाली जाकर रोड लाईंटे लगाई गई है। तथा प्लॉटिंग की हुई है। अतः वादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादियों को हिदायत दी जाती है कि इस आदेश की सम्यक तामील से तीन माह के भीतर विवादित भूमि ख नं 3305 रकबा 0.42 ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा को इस अधिनियम के तहत अनुमत आवास गृह के अतिरिक्त कोई गैर कृषि कार्य हो तो पुनः कृषि उपयोग में परिवर्तत कर ले। यदि 90 दिवस पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस आशय से सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तत करवाए। उपर्युक्त अवधि के पश्चात यदि जारी गैर कृषि उपयोग जारी रखना है, तो विवादित भूमि भूमिधारी यानि राज्य सरकार में निहित समझी जावेगी। इस आदेश की प्रति प्रतिवादीगणों को निशुल्कः जरिये डाक द्वारा भिजवाई जावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	